

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बीगा - मैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल स्रोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- अलेथ ।

तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी ।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बीगा - मैलूडा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल स्रोयम वन भूमि का ग्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, प्रयागराज एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अलेथ द्वारा दि० 25-01-2015 को संपन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सन्वन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरूपित चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सन्नति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अलेथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव


ग्राम प्रधान
वि०ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी
ह०
ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर-प्रयोगता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलुड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- धनपुर।
तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - भैलुड़ा मोटर मार्ग का घण्डियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनपुर द्वारा दि० २२-०२-२०१८ को ग्रामपन् ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

तबों के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत धनपुर
ग्राम सभा
दि० २२-०२-२०१८


श्रीकृष्ण
प्रमुख जमीन
ग्राम पंचायत-धनपुर
दि० २२-०२-२०१८, भटवाड़ी, उत्तरकाशी

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा गनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उराफा विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रमा गार प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।